



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर १०००१

५०००/आर-

153



R5010-II/17.

P. 301

राधिका प्रसाद पटेल आत्मज स्व. रामप्रयाग पटेल निवासी ग्राम दुवग्वा
कुर्मियांन थाना व तहसील मउरंज, जिला रीवा १०००१ --- आवेदक

बनाम

रामाश्रय

मुस. सुखरजुआ वेवा पत्नी स्व. रामप्रयाग पटेल ।

2- रामनेवाज पटेल आत्मज स्व. रामाश्रय पटेल ।

3- अंजनी पटेल आत्मज स्व. रामाश्रय पटेल ।

4- सन्तोष पटेल आत्मज स्व. रामाश्रय पटेल ।

5- राजकुमार पटेल आत्मज स्व. रामाश्रय पटेल - सभी निवासीग्राम दुवग्वा
कुर्मि० पो०आ० मउरंज, थाना व तह० मउरंज जिला रीवा १०००१---

----- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व

संहिता सन् 1959 ई०1

निगरानी बिस्व आदेश न्यायालय श्रीमान्

अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा म
के ५०००/581/अपील/015-016 आदेश दिनां

08-09-016, १ आठ सितम्बर सन् दो हजार
सोलह१

महानुभाव,

अन्य के अतिरिक्त, जो बक्त तर्क पेश किए जावेगें, निगरानी

आवेदन पत्र के आधार निम्नांकित हैं :---

1- यह कि माननीय बिद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आ


महोदय रीवा सम्भाग रीवा म०प्र० द्वारा ५०००/581/अपील/015-016 मेपा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5010-II/17

जिला-रीवा

राधीका प्रसाद पटेल / सुखरजुआ पटेल व अन्य

(1)	(2)	(3)
16.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	